

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 353] No. 353] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 सितम्बर, 2018

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2018/ 37.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चौथी मंज़िल, विबग्योर टॉवर, प्लॉट सं. सी 62, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 098 में स्थित है, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 16 सितम्बर 2018 को प्रारंभ होने वाली और 15 सितम्बर 2019 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि (अवधि) के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं (कॉण्ट्रैक्टस्) की बाबत इसमें इसके नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अध्यधीन प्रदान करता है:

• एक्सचेंज भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर विहित शर्तों का अनुपालन करेगा ।

संतोष कुमार मोहान्ती, पूर्णकालिक सदस्य [विज्ञापन-III/4/असा./229/18]

5430 GI/2018 (1)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th September, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/37.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Metropolitan Stock Exchange of India Limited, having its registered office at 4th Floor, Vibgyor Tower, Plot No C 62, G Block, Bandra Kurla Complex (BKC), Bandra (E), Mumbai – 400 098 and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 16th day of September, 2018 and ending on the 15th day of September, 2019 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

• The Exchange shall comply with conditions as may be prescribed by SEBI from time to time.

SANTOSH KUMAR MOHANTY, Whole Time Member [ADVT.-III/4/Exty./229/18]